

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०-91 / 2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग_{-3,} खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 16 मार्च, 2021

फाल्गुन 25, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 142 / वि०स० / संसदीय / 12(सं)-2021

लखनऊ, 19 फरवरी, 2021

अधिसूचना प्रकीर्ण

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 19 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 9 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, २०२० में संक्षिप्त नाम, दीर्घ उत्तर प्रदेश नाम, शीर्षकों सहित शब्द 'उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय', जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द ''महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर'' रख दिये जायेंगे।

अधिनियम संख्या 6 सन् 2020 का सामान्य संशोधन

निरसन और व्यावृत्ति 3—(1) राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2021 एतदुद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर में भारतीय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आयुर्विज्ञान प्रणाली में अध्यापन तथा अनुसंधान हेतु एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020) अधिनियमित किया गया था।

2—गोरखपुर, भारत में 'नाथ' धार्मिक अभिधान तथा मठीय आन्दोलन की शैव उप—परम्परा के सम्प्रवर्तक महायोगी बाबा गोरखनाथ की तपस्थली है। आयुर्वेदिक अध्ययन विषयों यथा 'रसशास्त्र' तथा 'भैषज्य कल्पना' पर रचित और 'नाथ' साहित्य योग तथा शैलतल से सम्बन्धित पुस्तकों में प्रकाशित उनकी कृतियाँ, आयुर्वेद ज्ञानार्जनों की प्रमुख अंग हैं। समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले गोरखपुर जैसे पवित्र स्थल पर आयुष विश्वविद्यालय स्थापित होना गौरव की बात है।

3—पूर्वोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश करने का विनिश्चय किया गया था।

4—चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तत्काल विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2021 को राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया।

5-यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

डा0 धर्म सिंह सैनी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष।

> आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR Sansadiya Karya Anubhag-1

No. 229/XC-S-1–21-13S-2021 Dated Lucknow, March 16, 2021

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Rajya Ayush Vishvavidyalaya, Uttar Pradesh (Sanshodhan) Vidheyak, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 19, 2021:

THE STATE AYUSH UNIVERSITY, UTTAR PRADESH (AMENDMENT) BILL, 2021

Α

BILL

further to amend the State Ayush University, Uttar Pradesh Act, 2020.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2021.

Short title and commencement

- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from January 9, 2021.
- 2. In the State Ayush University, Uttar Pradesh Act, 2020 *for* the words 'Uttar Pradesh State Ayush University' wherever occuring including the short title, long title, headings, the words "Maha Yogi Guru Gorakhnath Ayush University, Gorakhpur" shall be *substituted*.

General Amendment of U.P. Act no. 6 of 2020

Repeal and saving

3. (1) The State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 1 of 2021

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Ayush University Act, 2020 (U.P. Act no. 6 of 2020) was enacted to provide for the establishment of an Ayush University at Gorakhpur in Uttar Pradesh for teaching and research in Indian Medicine Systems of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy.

2. Gorakhpur is the taposthali of Maha Yogi Baba Gorakhnath who is considered to be the founder of the Shaiva sub-tradition of 'Nath' religious denomination and monastic movement in India. His works authored on subjects of Ayurveda studies such as Rasashastra and Bhaishajya Kalpana which are published in books pertaining to 'Nath' literature, Yoga and Shailtal, form a part of Ayurveda's salient learnings. It is a matter of pride that the Ayush University is established in a holy place like Gorakhpur which has such a rich historic and cultural background.

- 3. In view of the aforesaid, it had been decided to change the name of the said University as Maha Yogi Guru Gorakhnath Ayush University, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
- 4. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 1 of 2021) was promulgated by the Governor on January 9, 2021.
 - 5. This Bill is introduce to replace the aforesaid Ordinance.

DR. DHARM SINGH SAINI, Rajya *Mantri (Swatantra Prabhar)*, *Ayush*.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.